

**अध्यक्ष काउंसलिंग समिति,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004**

**केन्द्रीयकृत चरणों उपरान्त विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त एवं ड्रापआउट सीटों पर प्रवेश हेतु
अतिरिक्त ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम, सत्र 2016-17
// संशोधित कार्यक्रम //**

मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय एवं निजी संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी निम्न तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन काउंसलिंग में इंटरनेट/एमपी मोबाइल (MPMobile) एन्ड्रायड एप के माध्यम से एवं अधिकृत सहायता केन्द्रों से वेबसाइट www.dtempcounselling.org या dte.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों-सह-कियोस्क केन्द्रों की सूची उपरोक्त दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

पाठ्यक्रम	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	दस्तावेजों का सत्यापन	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना	कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	प्रावधिक आवंटन की तिथि	आवंटन पश्चात् आवंटित संस्था में उपस्थिति की अंतिम तिथि
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch.) (नाटा एवं अर्हकारी परीक्षा आधारित)	01/08/2016 से 03/08/2016 सायं 3:00 बजे तक	01/08/2016 से 03/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	01/08/2016 से 03/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	04/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	05/08/2016	08/08/2016 सायं 5 बजे तक
बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E.) (प्रथमतः जेईई मेन-2016, तदउपरान्त अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जायेगा)	03/08/2016 से 07/08/2016 सायं 3 बजे तक	03/08/2016 से 07/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	05/08/2016 से 07/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	08/08/2016 अपरान्ह 12 बजे	08/08/2016	10/08/2016 सायं 5 बजे तक
बी.ई. -अंशकालिक (B.E.- Part Time) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	01/08/2016 से 08/08/2016 सायं 3 बजे तक	01/08/2016 से 08/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	01/08/2016 से 08/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	09/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	09/08/2016	11/08/2016 सायं 5 बजे तक
बी./डी. फार्मैसी (B.Pharmacy/D.Pharmacy) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	01/08/2016 से 04/08/2016 सायं 3:00 बजे तक	01/08/2016 से 04/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	01/08/2016 से 04/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	05/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	06/08/2016	08/08/2016 सायं 5 बजे तक
बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नालॉजी (B.H.M.C.T.) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	01/08/2016 से 03/08/2016 सायं 3:00 बजे तक	01/08/2016 से 03/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	01/08/2016 से 03/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	04/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	05/08/2016	08/08/2016 सायं 5 बजे तक

बी.ई./बी.फार्मसी – लेटरल एंट्री (B.E./B.Pharmacy – Letaral Entry) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	11/08/2016 से 13/08/2016 सायं 3:00 बजे तक	11/08/2016 से 13/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	11/08/2016 से 13/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	15/08/2016	20/08/2016 सायं 5 बजे तक
एम.सी.ए. (M.C.A.) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	05/08/2016 से 06/08/2016 सायं 5:00 बजे तक	05/08/2016 से 06/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	05/08/2016 से 06/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	07/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	08/08/2016	09/08/2016 सायं 5 बजे तक
एम.सी.ए. – लेटरल एंट्री (M.C.A. – Letaral Entry) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	05/08/2016 से 06/08/2016 सायं 5:00 बजे तक	05/08/2016 से 06/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	05/08/2016 से 06/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	07/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	08/08/2016	09/08/2016 सायं 5 बजे तक
एमसीए – एकीकृत (M.C.A. – Integrated) (पूर्णकालिक 5 वर्ष पाठ्यक्रम) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	01/08/2016 से 06/08/2016 सायं 3 बजे तक	01/08/2016 से 06/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	01/08/2016 से 06/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	08/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	09/08/2016	11/08/2016 सायं 5 बजे तक
एम.फार्मसी (M.Pharmacy) (प्रथमतः जीपेट परीक्षा, तदउपरान्त अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जायेगा)	01/08/2016 से 06/08/2016 सायं 3 बजे तक	01/08/2016 से 06/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	01/08/2016 से 06/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	08/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	09/08/2016	11/08/2016 सायं 5 बजे तक
एम.टेक.–एम.ई. (M.Tech./M.E.) (पूर्णकालिक/अंशकालिक) (प्रथमतः गेट परीक्षा, तदउपरान्त अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जायेगा)	07/08/2016 से 09/08/2016 सायं 3:00 बजे तक	07/08/2016 से 09/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	07/08/2016 से 09/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	10/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	10/08/2016	11/08/2016 सायं 5 बजे तक
एम.बी.ए. (M.B.A.) (पूर्णकालिक/अंशकालिक) (प्रथमतः सीमैट-2016 तदउपरान्त अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जायेगा)	05/08/2016 से 08/08/2016 सायं 5:00 बजे तक	05/08/2016 से 08/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	05/08/2016 से 08/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	09/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	09/08/2016	11/08/2016 सायं 5 बजे तक
एम.बी.ए.–एकीकृत (M.B.A. Intregated) (पूर्णकालिक 5 वर्ष पाठ्यक्रम) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	01/08/2016 से 08/08/2016 सायं 3 बजे तक	01/08/2016 से 08/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	01/08/2016 से 08/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	09/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	09/08/2016	11/08/2016 सायं 5 बजे तक
डिप्लोमा–पीपीटी पाठ्यक्रम (Diploma-PPT Courses) (प्रथमतः पीपीटी-2016 तदउपरान्त अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जायेगा)	11/08/2016 से 13/08/2016 सायं 5:00 बजे तक	11/08/2016 से 13/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	11/08/2016 से 13/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	15/08/2016	20/08/2016 सायं 5 बजे तक

नॉन डिप्लोमा- पीपीटी पाठ्यक्रम (Diploma-NON PPT Courses) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	01/08/2016 से 04/08/2016 सायं 3:00 बजे तक	01/08/2016 से 04/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	01/08/2016 से 04/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	05/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	06/08/2016	08/08/2016 सायं 5 बजे तक
डिप्लोमा (Diploma) (डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	01/08/2016 से 06/08/2016 सायं 3:00 बजे तक	01/08/2016 से 06/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	01/08/2016 से 06/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	08/08/2016 अपरान्ह 1 बजे	09/08/2016	10/08/2016 सायं 5 बजे तक

नोट :- (1) अभ्यर्थी निर्धारित सत्यापन तिथियों तक अथवा संस्था आवंटन पश्चात उपस्थिति (Reporting) से पूर्व अपनी सुविधानुसार सत्यापन करवा सकते हैं।

(2) निर्धारित अंतिम तिथि उपरांत अभ्यर्थी की संस्था में उपस्थिति (Reporting) स्वीकार नहीं की जावेगी।

(3) काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी पंजीयन के समय अर्हकारी परीक्षा के अंको का विवरण, जन्म तिथि एवं श्रेणी/वर्ग सावधानी पूर्वक भरें। अभ्यर्थी द्वारा दी गई इस जानकारी के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाकर आवंटन जारी किया जाता है। अतः आवंटन पश्चात् सत्यापन की स्थिति में पंजीयन के समय भरी गई जानकारी में त्रुटि पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(4) अन्य जानकारीयां जैसे अभ्यर्थी का नाम, अर्हकारी परीक्षा का अनुक्रमांक, बोर्ड का नाम एवं मोबाईल नंबर इत्यादि का विवरण भी सावधानी पूर्वक भरें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में अध्यक्ष काउंसलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

महत्वपूर्ण:	
ऑनलाईन पंजीयन (Registration) :-	
1.	काउंसलिंग के अतिरिक्त चरण में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा आधारित अथवा अर्हकारी परीक्षा आधारित केवल एक बार पंजीयन कराना आवश्यक होगा, जो कि निःशुल्क रहेगा।
2.	काउंसलिंग के केन्द्रीकृत किसी भी पूर्व के चरण में पंजीयन करवा चुके अभ्यर्थियों को पुनः पंजीयन करने की आवश्यक नहीं है।
सत्यापन:-	
1.	काउंसलिंग सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन के उपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर स्वयं उपस्थित होकर करवा सकते हैं।
2.	काउंसलिंग सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को, प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) से पूर्व अथवा बाद अथवा संस्था आवंटन पश्चात आवंटित संस्था में रिपोर्टिंग से पूर्व सुविधानुसार अधिकृत सहायता केन्द्र से दस्तावेज सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) :-	
1(a)	काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को इच्छित संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग व आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1530/- (काउंसलिंग शुल्क ₹400/-, आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1000/- एवं पोर्टल शुल्क ₹130/- सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।
1(b)	ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है, अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) करने के लिये आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1130/- (₹130/-पोर्टल शुल्क सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।
2(a)	डिप्लोमा (पीपीटी एवं नॉन-पीपीटी पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क ₹330/- (काउंसलिंग शुल्क ₹200/- एवं पोर्टल शुल्क ₹130/- सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।
2(b)	ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डिप्लोमा (पीपीटी एवं नॉन-पीपीटी पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है, अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के

	चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) करने के लिये ₹ 130/-पोर्टल शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।
3.	डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रम की काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को पोर्टल शुल्क ₹130/- देय होगा, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।
आवंटन एवं प्रवेश (Allotment) :-	
1.	प्रथमतः प्रवेश परीक्षा आधारित को तदोत्परान्त सीट रिक्त रहने पर अर्हकारी परीक्षा के आधार पर मेरिट अनुसार प्राथमिकताक्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित समय-सारणी अनुसार पूर्ण करनी होगी।
सामान्य निर्देश:-	
1.	अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाईल नंबर तथा ई-मेल आईडी तैयार रखें।
2.	प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन रसीद अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
3.	सत्यापन उपरांत सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरित पावती अवश्य प्राप्त करें।
4.	शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग अथवा एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ई-वालेट (Paytm) के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर किसी भी अधिकृत सहायता केन्द्र (काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) अथवा एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है।
5.	प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन उपरांत च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट पर कहीं से भी संपादित कर सेव (Save) कर लें, तत्पश्चात् ही किसी अधिकृत सहायता केन्द्र/कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
6.	अधिकृत सहायता केन्द्रों (Help Centres) (जोकि मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं/चयनित आई.टी.आई. एवं मॉडल स्कूल) की जिसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।
7.	सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेज कदापि जमा न करें तथा सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें।
8.	प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी www.dtempcounselling.org तथा dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे।
अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियां	
1.	मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति ही जमा करनी हैं। संस्था में प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।
2.	काउंसलिंग में पंजीयन (Registration) के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता चयन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।

आदेशानुसार
अध्यक्ष-काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश